भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4267

उत्तर देने की तारीख 18 जुलाई, 2019

27 आषाढ़, 1941 (शक)

डोपिंग परीक्षण

4267. श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय डोपिंगरोधी एजेंसी द्वारा किए गए डोपिंग परीक्षणों में कई खिलाड़ियों का परीक्षण पॉजिटिव पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने डोपिंग के प्रचलन से संबंधित विषयों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डोपिंग कांड में अग्रणी एथलीटों का नाम शामिल होने से ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी प्रभावित हो सकती है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा डोप जांच किए गए खिलाड़ियों की सूचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	वर्ष	की गई डोप जांचों की संख्या	पॉजीटिव पाए गए डोप मामलों की संख्या
1	2016-17	3112	79
2	2017-18	3822	74
3	2018-19	4348	187

(ग) और (घ) : जी नहीं, इस मंत्रालय ने हाल ही में डोपिंग के प्रचलन संबंधी मामलों की जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की है । जुलाई, 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था । न्यायाधीश मुकुल मुदगल ने मई, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और उपयुक्त कार्रवाई की गई थी ।

(ङ) और (च) डोप संबंधी कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है । जब भी किसी खिलाड़ी का डोप नमूना पॉजीटिव पाया जाता है तो राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

*****